भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतरांकित प्रश्न संख्या 786
गुरुवार, 7 दिसंबर, 2023 / 16 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइन की सुरक्षा संपरीक्षा

786. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किए गए एयरलाइन की सुरक्षा संपरीक्षा में कोई कमी पाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का सुरक्षा मानकों के पालन पर आधारित एयरलाइन के रैंकिंग का प्रस्ताव है, ताकि यात्री जानकारी आधारित विकल्प चुन सकें, और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) वर्ष 2023 में, वार्षिक निगरानी योजना 2023 के अनुसार 06 अनुसूचित एयरलाइनों की सुरक्षा संपरीक्षा की गई है। संपरीक्षा के दौरान पाए गए कुछ प्रमुख निष्कर्षो का विवरण अनुलग्नक-I पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), विभिन्न प्रचालकों का प्रमाणीकरण करता है और नियमित अंतराल पर प्रकाशित, वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (एएसपी) के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर निगरानी/संपरीक्षा भी करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचालकों द्वारा इनका निरंतर अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, डीजीसीए द्वारा कोई एयरलाइन-वार रैंकिंग नहीं की जाती है।

मौजूदा नियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामलों को प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल (ईपीपीएम) के अनुसार निपटाया जाता है और उचित समझी जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

*****

प्रमुख लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

- कुछ एयरलाइनों के मामले में, निरीक्षण के दौरान उड़ान डेटा की निगरानी में अधिकताएं पकड़ी गईं, तथापि संगठन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने में देरी हुई।
- कुछ एयरलाइनों के मामले में, एयरलाइनों द्वारा अनुमोदित उड़ान सुरक्षा मैनुअल के अनुरूप आंतरिक ऑडिट नहीं किया जा रहा था और संपरीक्षा निष्कर्षों का अनुपालन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था।
- उड़ान संरक्षा दस्तावेज़ीकरण प्रणाली से संबंधित कार्य में, नवीनतम लागू विनियमों एवं परिपत्रों के अनुसार दस्तावेजों में संशोधन की जाँच के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण का अभाव है।
- संगठन के भीतर प्राप्त स्वैच्छिक रिपोर्टों पर समयबद्ध तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है।
- क्रू के प्रशिक्षण दस्तावेज़ समय पर अद्यतन नहीं किए जाते हैं।
- विनिर्माता द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार विभिन्न रखरखाव/प्रचालनिक टूल्स/उपकरणों की जांच नहीं की जाती है।
- इंजीनियरिंग एवं सुरक्षा विभागों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध नहीं है।
- जांच के निष्कर्ष/सिफारिश का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है।
- कुछ एयरलाइनों में, यह देखा गया कि परिवर्तन के प्रबंधन के मामले में जोखिम का मूल्यांकन प्रभावी नहीं था।